


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक : 33/25

दिनांक 19.09.2025

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री रामभरोस पुत्र बालमुकुन्द पुत्र/पुत्री के बालमुकुन्द न पार्थ-॥  
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अल्लापुरा पटवारी गण्डल कोटसपार तहसील छबड़ा  
जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 43 में खातेदार/गैरखातेदार का  
नाम/जमि रामभरोस पुत्र बालमुकुन्द अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रखा रो  
रामभरोस पुत्र बालमुकुन्द अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी कोटसपार  
से करवाने पर पटवारी ने रामभरोस पुत्र बालमुकुन्द के वजाय रामभरोस पुत्र बालमुकुन्द  
करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में रामभरोस पुत्र बालमुकुन्द  
के वजाय रामभरोस पुत्र बालमुकुन्द करना उचित बताया।  
अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956  
एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत  
ग्राम अल्लापुरा के खाता संख्या 43 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जमि रामभरोस पुत्र  
बालमुकुन्द के स्थान पर सम्मानजनक रूप से रामभरोस पुत्र बालमुकुन्द करने का  
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
छबड़ा जिला बारां  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)